सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय –2 की धारा–4 (1) ख (2)

मैनुअल संख्या –2

अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583–ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून– 248001 को डाक द्वारा या टैलीफैक्स नम्बर 0135-2522941 या ई–मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

<u>मैनुअल–2</u>

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

निगम में कार्यरत अधिकारियों एंव कर्मचारियों को प्रदत अधिकार एंव कर्तव्यों का श्रोत मूल रूप से कम्पनी अधिनियम 1956 एवं निगम के अन्तर्नियमों (Memorandum & Articles of Associations) में उल्लिखित है। निगम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों का उपयागे एवं निर्दिष्ट कार्य Memorandum & Articles of Associations में उल्लिखित उद्देश्यों के सापेक्ष ही किया जाता है। अपने कार्यो एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन करते समय सभी अधिकारियों एंव कर्मचारियों के लिये समस्त वैधानिक अधिनियमों जो कि कम्पनी पर लागू होते है का अनुपालन अनिवार्य है।

निदेशक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

निगम के अन्तर्नियमों के अनुसार निगम के क्रियाकलापों को निदेशक मण्डल द्वारा सचांलित किया जाता है। निदशक मण्डल ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम है जिनका प्राविधान कम्पनी अधिनियम 1956 एवं किसी अन्य अधिनियम, किसी ज्ञाप या अन्तर्नियमों के अर्न्तगत उत्तराखण्ड सरकार अथवा कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा किया जाना है।

अध्यक्ष एवं निगम के प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त अधिकार

ब्रिडकुल के अध्यक्ष को सगंठन के प्रमुख तथा प्रबन्ध निदेशक को निगम के सुचारू सचांलन हेतु अधिकृत किया गया है। उनके द्वारा उपभोग किये जाने वाले अधिकार निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त होते हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत तथा कम्पनी के Memorandum & Article of Association द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा उन्हें विभिन्न प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार प्रदत्त किये गये हैं तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी पूर्णतया उनके प्रशासनिक नियंत्रण में उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्य करते हैं।